फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़
राज0 सरकार बनाम मानसिंह वगै0
किस्म मुकदमा धारा 177 आर.टी.एक्ट मुकदमा न0 280/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2022	आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी मानसिंह की ओर से श्री संदीप कुमार एड. ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया गया। वकील प्रतिवादी को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.12.2021 को गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। उन्हें मौजुदा वाद में कभी तामिल नोटिस नहीं गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी ने वादवर्णित कृषि भूमि का कभी भी स्वरूप नहीं बदला तथा अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर कृषि कार्य ही कर रहा है । प्रतिवादी ने अपनी उक्त कृषि भूमि की कुछ भूमि का भूमि रूपान्तरण करवाने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के समक्ष आवेदन पेश कर रखा है। बाकी कृषि भूमि को कृषि उपयोग में ही लेता रहा है। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया हो एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन की हो। यह कहना भी गलत है कि राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान किया हो। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.09.2021 को प्रतिवादी की भूमि बाबत झुठी रिपोर्ट पेश की गई है प्रतिवादी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य नहीं कर रहा है। दावा गलत पेश होने से खारिज योग्य है। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	

Scanned with Oken Scanner